संख्या–371/XLI-1(प्रशि.)/2011-4/11

प्रेषक,

**एस0राजू,**
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
प्रशिक्षण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग** देहरादूनः दिनांकः 02 फरवरी, 2012

**विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–15804/डीटीईयू/0202/प्रस्ताव/11/2011–12, दिनांक 12.12.2011 एवं पत्र सख्या–9756/डीटीईयू/0202/प्रस्ताव/11/2011–12, दिनांक 18.08.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत अनुदान संख्या–16, 30 एवं 31 में अवचनबद्ध मदों की संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में क्रमशः ₹237.00 लाख, ₹159.50 लाख तथा ₹159.20 लाख अर्थात कुल ₹555.70 लाख (रूपये पॉच करोड़ पचपन्न लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अधीन नये व्यवसायों की योजनान्तर्गत टनकपुर, दिनेशपुर, रूद्रप्रयाग व काण्डा आई0टी0आई0 में 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के तथा मुनस्यारी, धारचूला, कालसी व तपोवन आई0टी0आई0 में 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित किये जायेंगे।

3– उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होद्व वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

4– व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से कार्यालय फर्नीचर/मशीन/उपकरण/कम्प्यूटर हार्डवेयर आदि का क्रय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 मे विहित प्रक्रिया/व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु किया जा रहा है।

क्रमशः 2.....

6– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2012 तक करते हुये प्रत्येक माह की व्यय की गयी धनराशि का विवरण बी.एम.–13 पर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

8– निदेशालय द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन उनके अधीन वर्तमान में संचालित प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्येक मद में संस्थावार आवश्यकतानुसार फांट करते हुये किया जायेगा और जिसकी प्रति प्रत्येक दशा में शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नकः यथोपरि।**

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3. वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी।
4. प्रधानाचार्य/आहरण–वितरण अधिकारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून/हरिद्वार/श्रीनगर/बड़कोट/कर्णप्रयाग/सल्टमहादेव/कालसी/रूद्रप्रयाग/अल्मोडा/हल्द्वानी/काशीपुर/टनकपुर/पिथौरागढ/नई टिहरी।
5. एनआईसी, सचिवालय।
6. नियोजन विभाग/वित्त विभाग–5
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश सं.371/XLI-1(प्रशि.)/2011–4/11 दिनांक: 2 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2012 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–16

(1) लेखाशीर्षक:2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान

आयोजनागत

(धनराशि ₹ हजार में)

| मानक मद संख्या एवं मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र | 10000 |
| योग– | **10000** |

(2) लेखाशीर्षक:2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण–

आयोजनागत

(धनराशि ₹ हजार में)

| मानक मद संख्या एवं मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| 25–लघु निर्माण कार्य | 1200 |
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र | 10000 |
| 29–अनुरक्षण | 2500 |
| योग– | **13700** |

अनुदान संख्या–30

(3) लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–0201–दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रूद्रप्रयाग आदि आई.टी.आई. में नये व्यवसाय का खोला जाना–

आयोजनागत

(धनराशि ₹ हजार में)

| मानक मद संख्या एवं मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 200 |
| 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 50 |
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र | 10000 |
| 42–अन्य व्यय | 5000 |
| 46–कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 500 |
| 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 200 |
| योग– | **15950** |

क्रमशः 2.....

अनुदान संख्या–31
(4) लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार,
03–प्रशिक्षण–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–
03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना,0301–मुनस्यारी, धारचूला, कालसी तथा तपोवन आई.टी.आई.

आयोजनागत (धनराशि ₹ हजार में)

| मानक मद संख्या एवं मद का नाम | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 200 |
| 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 20 |
| 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र | 10000 |
| 42–अन्य व्यय | 5000 |
| 46–कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्टवेयर का कय | 500 |
| 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी कय | 200 |
| योग– | **15920** |

कुल धनराशि– ₹ 55570 हजार
(रूपये पॉच करोड़ पचपन्न लाख सत्तर हजार मात्र)

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।